उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-45/2019/1013/52-1-2019-01(98)/2013
लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2019

संशोधन-आदेश

ब्लाक लेविल फैसिलिटेटरों के मानदेय की समर्पित धनराशि का पुन: आवंटन किये जाने विषयक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-42/2019/जी0आई0-54/बावन-1-2019-01(98)/2013, दिनांक 13.09.2019 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-2 में उल्लिखित वाक्यांश **"उपरोक्त धनराशि को सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखते हुए उनके माध्यम से ब्लाक लेविल फैसिलिटेटरों की तैनाती के सत्यापनोपरान्त उन पर आने वाले व्यय हेतु उपयोग किया जायेगा"** के स्थान पर **"उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13.09.2019 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित सारिणी के क्रमांक-3 के कॉलम-3 में अंकित धनराशि रू0 1,59,46,000.00 को निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुए उनके माध्यम से ब्लाक लेविल फैसिलिटेटरों की तैनाती के सत्यापनोपरान्त उन पर आने वाले व्यय हेतु सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उपयोग किया जायेगा"** पढ़ा जाये।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 13.09.2019 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित सारिणी के क्रमांक-1 व 2 के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश निर्गत किया जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार उक्त शासनादेश संख्या-42/2019/जी0आई0-54/बावन-1-2019-01(98) /2013, दिनांक 13.09.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष निर्देश तथा शर्तें यथावत रहेंगे।

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या - /2019/1013(1)बावन 2019-1-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद) ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद) ।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
6- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
8- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
9- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

UO Gautam sir

shasanadesh.up.gov.in